

कार्यालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर (राजस्थान)

क्रमांक:- 31

दिनांक:- 29.04.26.

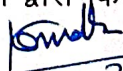
:: कार्यालय आदेश ::

मैं, कमल कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर एतद्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **मई, 2026** में अग्रवर्णित राजकीय व अन्य अवकाशों के दिन ब्यावर न्याय क्षेत्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक दायित्व कार्य यथा अभियुक्तगण के रिमांड संबंधी कार्य, जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई, धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन, मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं प्रोटोकॉल संबंधी कार्य तथा अन्य कार्य (जिन्हें अधोहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अत्यावश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए कॉलम संख्या 2 में वर्णित दिनांक के लिए कॉलम संख्या 3 में वर्णित पीठासीन अधिकारी को अधिकृत करता हूँ:-

क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम व पदस्थापन
01.	03.05.2026	श्रीमती मोनिका चौधरी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, ब्यावर
02.	09.05.2026	सुश्री सुषमा जाखड़, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, ब्यावर
03.	10.05.2026	श्री सतीश फानिन, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 03, ब्यावर
04.	17.05.2026	श्री हर्षित शर्मा, एन.आई.एक्ट ब्यावर
05.	23.05.2026 व 24.05.2026	श्री प्रवीण चौहान, अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, ब्यावर
06.	28.05.2026	श्री पंकज सांखला, अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 03, ब्यावर
07.	31.05.2026	श्री प्रवीण शंकर, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर

निर्देश:-

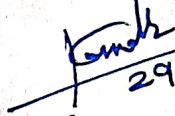
01. अधिकृत किए गए न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे तथा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, ब्यावर की अनुमति के बिना मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।
02. यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो वही न्यायिक अधिकारी, जिसे ऐसे घोषित किए गए राजकीय अवकाश के यथास्थिति पूर्व या पश्चातवर्ती निर्धारित दिवस को उपरोक्त कर्तव्य हेतु अधिकृत किया हुआ है, के द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य सम्पादित किए जाएंगे।
03. यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी कारणवश अपनी रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहता है अथवा अवकाश पर रहने/मुख्यालय परित्याग करने की प्रस्तावना करता है तो वह अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त रिमाण्ड ड्यूटी निर्वहन किए जाने का सामंजस्य कर सहमति का अपने पत्र में अंकन करते हुए इस कार्यालय को प्रेषित करें।
04. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से समय 09.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे एवं शेष समय के लिए अपने निवास से उपरोक्त कार्य निष्पादित करेंगे।
05. रिमाण्ड ड्यूटी के दिन जिस अधिकारी की ड्यूटी निर्धारित की गई है, सीजेएम के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी का संपादन भी उक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।


29.04.26
(कमल कुमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर (राज.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, ब्यावर
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01/02/03, ब्यावर/जैतारण
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01/02/03, ब्यावर
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण/बर/मसूदा/बिजयनगर
5. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.), ब्यावर
6. न्यायधिकारी ग्राम न्यायालय, रायपुर
7. जिला पुलिस अधीक्षक, ब्यावर को प्रेषित कर लेख है कि ब्यावर न्यायक्षेत्र के समस्त थानाधिकारियों को निर्धारित समय में ही आवश्यक रूप से रिमाण्ड पीठासीन अधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्य प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।
8. उप निदेशक अभियोजन, अजमेर को अभियोजन अधिकारी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
9. अध्यक्ष बार एसोसिएशन, ब्यावर,
10. प्रभारी, कण्ट्रोल रूम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, ब्यावर
11. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, ब्यावर।
12. रक्षित पत्रावली।


29.04.26
(कमल कुमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर (राज.)